न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 82 / 2022

उनवान

1 तुलसी पत्नी नानुराम जाट नि0 सावला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2 किशन पुत्र नानुराम जाट नि0 सावला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3 रतन पुत्र नानुराम जाट नि0 सावला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4 सीता पुत्री नानुराम नि0 सावला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5 नाबालिग जीवराज पुत्र नानु संरक्षक सरपरस्त माता तुलसी नि0 सावला तह हमीरगढ।
6 नाबालिक रामलाल पुत्र नानु संरक्षक सरपरस्त माता तुलसी नि0 सावला तह हमीरगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जेतु पत्नी भैरू जाट नि0 मंगलपुरा, भीलवाडा।
2. हेमा पुत्र छितर जाट नि0 देवली, भीलवाडा।
3. चांदी पत्नी प्यारचन्द माडरी नि0 निलियाखुर्द, भीलवाडा।
4. सोहन पुत्र प्रताप माडरी नि0 देवली भीलवाडा।
5. बालु पुत्र रामा जाट नि0 देवली, भीलवाडा।
6. दली पुत्री बरदा माडरी नि0 देवली, भीलवाडा।
7. मुली पुत्र बरदा माडरी नि0 देवली, भीलवाडा।
8. मांगीलाल पुत्र भेरू जाट नि0 देवली, भीलवाडा।
9. सुर्यवीर सिंह पुत्र छोटु सिंह पुरावत, नि0 देवली, भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 08.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खेत हजारीया प.ह. दुडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 11 के आ.न. 03 रकबा 0.5564है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.06.2022 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 09 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खेत हजारीया प.ह. दुडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या के आ.न. 03 रकबा 0.5564है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ